राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 30 अप्रैल 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सौर परियोजना की बोली के लिए मोहलत बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआइ) ने सोमवार को एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए बोली जमा करने की समय सीमा को 30 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 21 मई 2019 कर दिया। समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि बोलीदाताओं की कुछ जिज्ञासाओं का समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है। एसईसीआइ ने कहा कि 97.5 मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी) ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2019 थी।

हम नए और ऐसे कारोबारों में प्रवेश करना चाहते हैं, जिससे निवेशकों में हमारी कंपनियों के प्रति रुचि बरकरार रहे।
— अनलजीत सिंह
चेयरमैन, मैक्स इंडिया

बेपरवाही ▶ ग्राहकों से जीएसटी वसूल करने के बाद भी सरकार को नहीं करते हैं भुगतान

छोटे रेस्तरां और कारोबारियों की जीएसटी चोरी पर कसेगा शिकंजा

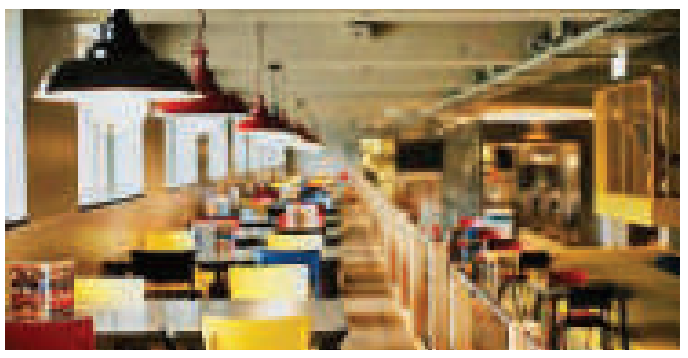

छोटे कारोबारियों की टैक्स चोरी से प्रभावी तरीके से निपटने को बन रही प्रणाली

नई दिल्ली, प्रेट्र : हममें से अधिकतर लोगों ने रेस्तरां में खाने-पीने के बाद किए जाने वाले भुगतान में जीएसटी का भी भुगतान किया है। रेस्तरां जो बिल ग्राहकों को देता है, उसमें जीएसटी के तहत ली जा रही राशि का भी उल्लेख रहता है। सच्चाई हालांकि यह है कि अधिकतर रेस्तरां अपने ग्राहकों से जीएसटी वसूल तो कर लेते हैं, लेकिन सरकार को उसका भुगतान नहीं करते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें, तो वे टैक्स चोरी कर रहे हैं। इसी तरह सीधे ग्राहकों को सेवा देने वाले कई और छोटे कारोबारी भी ग्राहकों से जीएसटी वसूली करने के बावजूद सरकार को उसका भुगतान नहीं करते हैं। जीएसटी अधिकारी अब ऐसे कारोबारियों द्वारा की जा रही जीएसटी चोरी पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा रहे हैं।

कई उपभोक्ताओं ने एक मोबाइल एप आइरिस पेरिडॉट के जरिये शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्तरां में उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है, लेकिन इस टैक्स को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया जा रहा है और न ही ऐसे रेस्तरां जीएसटी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। इस एप को कई ग्राहकों ने डाउनलोड किया है। यह एप जीएसटी सुविधा प्रदाता द्वारा विकसित की गई है। इसमें कारोबारी की जीएसटी पहचान संख्या को स्कैन कर यह पता किया जा सकता है कि उस कारोबारी ने रिटर्न दाखिल किया है अथवा नहीं। गौरतलब है कि डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायों को कंपोजीशन योजना लेने का विकल्प है। उन्हें प्रत्येक तिमाही रिटर्न दाखिल करनी होती है। लेकिन कंपोजीशन योजना अपनाने वाले कारोबारी ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं। उन्हें अपने बिल अथवा चालान पर भी यह लिखना होता है कि वह कंपोजीशन योजना के तहत आते हैं इसलिए माल की आपूर्ति अथवा दी गई सेवा पर उन्हें जीएसटी लेने के हक नहीं है। कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले व्यापारियों और मैन्यूफैक्चरिंग कारोबारियों को अपने कुल कारोबार पर मात्र एक फीसद की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है। जबकि कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले रेस्तरां को पांच फीसद और सेवा प्रदाताओं को छह फीसद की दर से जीएसटी का भुगतान करने की सुविधा दी गई है।

एक अधिकारी ने कहा कि हमें उपभोक्ताओं से ऐसी अनेक शिकायतें मिली हैं कि जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कई कारोबारी ग्राहकों से जीएसटी वसूल रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने छोटे स्थानीय रेस्तरां द्वारा जीएसटी वसूले जाने की शिकायत की है। कायदे से इन रेस्तरां को कंपोजीशन योजना के तहत आना चाहिए। शिकायतों की संख्या काफी ज्यादा है। कर विभाग एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है जिसके तहत पहले यह पता लगाया जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर कर की चोरी हो रही है। उसके बाद इन मामलों को फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतों की संख्या काफी अधिक है और इनमें कर चोरी का आकार छोटा होता है। अधिकारियों की संख्या समुचित नहीं होने के कारण विभाग के लिए काफी दबाव की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की शिकायतें हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल सामान जैसे क्षेत्रों में सीधे ग्राहकों को आपूर्ति करने वाले कारोबारियों के बारे में भी मिल रही हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि कारोबारियों द्वारा की जा रही चोरी सरकार के लिये बड़ी चिंता का कारण बन गई है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 72 करोड़ रुपये लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) को बीते वित्त वर्ष की चौथी एवं आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में 72.38 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक को 113.51 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। बैंक ने एक बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय 3,160.79 करोड़ रुपये रही। जनवरी-मार्च, 2018 के दौरान बैंक की कुल आय 3,094.46 करोड़ रुपये रही थी।

जहां तक संपत्ति की गुणवत्ता का सवाल है, तो समीक्षाधीन अवधि में बैंक का फंसा कर्ज (एनपीए) घटकर सकल जमा के 16.40 फीसद पर आ गया, जो उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 19.48 फीसद था। बैंक का शुद्ध एनपीए भी घटकर 5.52 फीसद रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 11.24 फीसद पर था।

बैंक ने कहा कि वह सरकार और वित्तीय संस्थाओं को शेयरों के प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये की रकम जुटाएगा। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी बैंक 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। बैंक ने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) को दिए कर्ज के एवज में उसने पूरे 387.53 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है। बैंक ने समीक्षाधीन अवधि में 7,556 सूक्ष्म, लघु एवं मझोली कंपनियों (एमएसएमई) के अकाउंट्स का पुनर्गठन किया, जिनकी कुल रकम 411.69 करोड़ रुपये थी।

तेजी से बढ़ रही आइटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

टैक्स आधार बढ़ाने की सरकार की कोशिशें धीरे-धीरे रंग ला रही हैं। इसका पता हाल के वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में तेज बढ़ोतरी से चलता है। इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए असेसमेंट ईयर (2018-19) में लगभग साढ़े छह करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुए हैं। खास बात यह है कि पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है।

आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2018-19 में 6.49 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए, जबकि असेसमेंट ईयर 2017-18 में 5.47 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे। इस तरह एक साल में आयकर रिटर्न फाइलिंग में 18.65 फीसद की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि असेसमेंट ईयर 2018-19 के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 में अर्जित आय का रिटर्न दाखिल किया गये हैं। चूंकि यह नोटबंदी के बाद पहला साल था, ऐसे में उस वर्ष के लिए दाखिल कि आयकर रिटर्न में वृद्धि बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी का फैसला किया था।

सूत्रों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2018-19 में फॉर्म आइटीआर-1 के रूप में भरे गए आयकर रिटर्न में लगभग 25 फीसद वृद्धि हुई है। यह रिटर्न फॉर्म व्यक्तिगत करदाता दाखिल करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ऑनलाइन दाखिल हुए रिटर्न की संख्या में भी खासी वृद्धि हुई है। साथ ही ऑफलाइन रिटर्न दाखिल करने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। सूत्रों ने कहा कि रिटर्न फाइलिंग के ताजा आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि नोटबंदी के बाद उत्तरी राज्यों में आयकर रिटर्न में उछाल आया है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आयकर रिटर्न में खासी वृद्धि हुई है। वैसे, सर्वाधिक आयकर रिटर्न महाराष्ट्र में दाखिल हुए हैं जबकि इस मामले में गुजरात दूसरे व उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर हैं।

एसबीआइ ने मांगी रुइया बंधुओं की संपत्ति जब्त करने की इजाजत

▶ एस्सार के रिजॉल्यूशन के बाद भी बैंक का रह जाएगा 20,000 करोड़ रुपये बकाया

▶ शेष बकाए की वसूली के लिए डीआरटी पहुंचा एसबीआइ

अहमदाबाद, आइएएनएस : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने प्रशांत रुइया और रवि रुइया की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सोमवार को अहमदाबाद के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के समक्ष एक मुकदमा दाखिल किया। एस्सार स्टील पर कर्जदाताओं का 63,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इस बकाए में ब्याज और जुर्माना भी शामिल हैं। कर्जदाताओं का नेतृत्व एसबीआइ कर रहा है। आर्सेलरमित्तल की समाधान योजना के तहत कर्जदाताओं को सिर्फ 42,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके तहत एसबीआइ के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए की वसूली नहीं हो पाएगी। इस बकाए में मूलधन, ब्याज और जुर्माना शामिल हैं। इस बकाए की वसूली के लिए एसबीआइ डीआरटी में कर्ज वसूली की प्रक्रिया चलाकर रुइया बंधुओं की दुनियाभर में स्थित निजी संपत्तियों को जब्त करना चाहता है।

एस्सार स्टील के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि रुइया बंधुओं ने कंपनी के लोन के कुछ ही हिस्से (करीब 11,000 करोड़ रुपये) के लिए निजी संपत्तियों की गारंटी दी थी। कंपनी की समाधान योजना से राशि मिलने और कंपनी को हाल में हुए कर पूर्व लाभ में से राशि मिलने के बाद कर्जदाताओं की वसूली में कमी रह जाने की संभावना नहीं है। इसलिए रुइया बंधुओं की गारंटी पर जोखिम नहीं है।

एसबीआइ ने प्रशांत रुइया और रवि रुइया की पर्सनल गारंटीज को करीब 6-8 महीने पहले ही कब्जे में ले लिया था और अब उसने डीआरटी में मुकदमा दाखिल किया है। यदि डीआरटी से अनुमति मिलती है, तो देश और विदेश में स्थिति रुइया बंधुओं की निजी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।

इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए टीम मजबूत करने में जुटा बैंक

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत 100 करोड़ रुपये से ऊपर के मामलों से निपटने के लिए अपनी टीम को मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए वह और अधिक बैंक्रप्सी और लीगल फर्म को नियुक्त करना चाहता है। बैंक ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से ऊपरी के मामलों को देखने के लिए वह एडवोकेसी और लॉ फर्म को पैनल में शामिल करना चाहता है। बैंक अभी आवेदनों पर विचार कर रहा है। बैंक ने फरवरी में आइबीबीआइ में रजिस्टर्ड इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स से आवेदन आमंत्रित किए थे। एनपीए के बड़े मामलों को एनसीएलटी में दाखिल करने को लेकर आरबीआइ का निर्देश सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद एसबीआइ और अन्य बैंक आइबीसी के तहत लंबे खिच रहे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना चाहते हैं।

जेपी इन्फ्रा को समाधान के लिए चाहिए समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्ज में डूबी कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के मुख्य कर्जदाता आइडीबीआइ ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में एक याचिका दाखिल की। याचिका में मांग की गई कि इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए छह मई की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कंपनी का खरीदार खोजने के लिए प्रक्रिया अभी भी जारी है। सूत्रों ने कहा कि कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआइआरपी) को और समय दिए जाने के लिए कर्जदाता ने एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की है। एनसीएलटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह मई का दिन निश्चित कर दिया।

जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर के समाधान के लिए एनसीएलटी एक बार पहले भी कर्जदाताओं और अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन को अतिरिक्त समय दे चुका है। 28 जनवरी को सीआइआरपी की अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत निर्धारित 180 दिनों की अवधि पांच फरवरी 2019 को समाप्त होने जा रही थी। आइबीसी के तहत समाधान की प्रक्रिया 180 दिनों में पूरी करनी होती है ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम, करार हुआ नोटिफाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने अमेरिका के साथ हुए अंतर-सरकारी समझौते को अधिसूचित कर दिया है। इस करार का उद्देश्य सीमा पार टैक्स चोरी रोकने के लिए देश-दर-देश आधार पर (सीबीसी) बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनई) की आय आवंटन और टैक्स भुगतान रिपोर्ट्स का आदान-प्रदान करना है। इस समझौते पर मार्च में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष पीसी मोदी और भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने हस्ताक्षरित किए थे। राजस्व विभाग ने 25 अप्रैल को इस समझौते को अधिसूचित कर दिया।

बाइलैटरल कंपीटेंट अथॉरिटी एरेंजमेंट और सीबीसी रिपोर्ट्स के आदान-प्रदान का करार 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इसके तहत दोनों देश एमएनई की सर्वोच्च पैरेंट कंपनियों द्वारा संबंधित देशों में दाखिल सीबीसी रिपोर्ट्स का स्वतः आदान-प्रदान कर सकेंगे। इस करार के बाद अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय इकाइयों को सीबीसी रिपोर्ट्स की लोकल फाइलिंग से मुक्ति मिलेगी। इससे अनुपालन की जटिलता भी कम होगी।

ट्रंप ने ऊंचे आयात शुल्क पर भारत को फिर कोसा (वाशिंगटन) : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊंचे आयात शुल्क को लेकर एक बार फिर भारत की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी पेपर प्रोडक्ट्स और हार्ले-डेविडसन बाइक पर भारी-भरकम शुल्क लगाता है। ऊंचे आयात शुल्कों की वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, जिसका फायदा भारत, चीन और जापान जैसे देश उठा रहे हैं। विस्कोंसिन राज्य के ग्रीन बे शहर में रिपब्लिकन पार्टी की एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हर देश पिछले कई वर्षों से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप बार-बार कहता रहा है कि भारत एक टैरिफ किंग है और अमेरिकी उत्पादों पर वह काफी ऊंचा शुल्क लगा रहा है। अपने समर्थकों के बीच ट्रंप ने कहा कि आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, हमें नुकसान हुआ है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है।

नए क्षेत्रों में कदम रखेगी मैक्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : मैक्स इंडिया ने सोमवार को कहा कि हेल्थकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार को अलग-अलग करने के बाद अब वह नए कारोबारी क्षेत्रों में कदम रखने की योजना बना रही है। एक बयान में कंपनी का कहना था कि नए कारोबार के लिए वह जीवन बीमा, रियल एस्टेट, वरिष्ठ नागरिक देखभाल तथा हॉस्पिटेलिटी (आतिथ्य सत्कार) जैसे वर्तमान कारोबारी क्षेत्रों की ओर ही ध्यान केंद्रित कर रही है।

मैक्स इंडिया ने यह भी कहा कि वह हेल्थकेयर और इंश्योरेंस कारोबार के विनिवेश से हासिल रकम का एक हिस्सा कंपनी के शेयरधारकों को भी ऑफर करेगी। वर्तमान में कंपनी जीवन बीमा क्षेत्र के अपने संयुक्त उपक्रम मैक्स बूपा की 51 फीसद हिस्सेदारी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ट्रू नॉर्थ के हाथों बेचने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा कंपनी ने एक ऐसा सौदा भी किया है, जिसके बाद दो सूचीबद्ध कंपनियों से उसका विभाजन हो जाएगा। इसके तहत मैक्स हेल्थकेयर और केकेआर समर्थित हॉस्पिटल परिचालन कंपनी रेडिएंट लाइफ के विलय से एक कंपनी बनेगी। इस कंपनी के जिम्मे 16 हॉस्पिटल होंगे। इस क्षमता के साथ यह देश की तीसरी सबसे बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल कंपनी बनेगी और शेयर बाजारों में स्वतः सूचीबद्ध होगी। मैक्स इंडिया की दूसरी विभाजित कंपनी को फिलहाल अद्वैत नाम दिया गया है। यह मैक्स इंडिया की अंतरा सीनियर लिविंग का जिम्मा संभालेगी। यह कंपनी मैक्स बूपा के विनिवेश से हासिल 500 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन भी करेगी।

मैक्स इंडिया के चेयरमैन और प्रमोटर अनलजीत सिंह अद्वैत में एक-दो नए क्षेत्रों के समावेश के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद मैक्स इंडिया जैसी कंपनी खड़ी करने की कहानी को दोहराना है। इसके तहत हम कुछ नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और मैक्स के तरीके से ही उसे आगे बढ़ाएंगे। यह उन सभी के लिए लाभप्रद होगा जो मैक्स में निवेश और रुचि बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक नए बिजनेस के बारे में फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि इतना ही वक्त न्यू मैक्स इंडिया की सूचीबद्धता में लगेगा, जो फिलहाल अद्वैत अलाइड सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है।

मान्यताप्राप्त निवेशकों को एंजल टैक्स से छूट देने की तैयारी

▶ ऐसे निवेशकों की परिभाषा तय करने में जुटा डीपीआइआइटी

▶ निवेशकों की संपत्ति और निवेश की रकम में तारतम्यता पर विभाग की नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल टैक्स के बोझ से मुक्ति देने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाला है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार मान्यताप्राप्त निवेशकों को एंजल टैक्स से छूट देने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह छूट हासिल करने के लिए निवेशकों को एक निश्चित नेटवर्थ के मानक का पालन करना पड़ सकता है। 'मान्यताप्राप्त निवेशकों' को परिभाषित करने का एक मकसद यह भी है कि स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

अधिकारी के मुताबिक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) मान्यताप्राप्त निवेशकों की परिभाषा तय करने पर काम कर रहा है। यह परिभाषा तय हो जाने के बाद उसे अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'मान्यताप्राप्त या अच्छे निवेशक कितनी भी रकम का निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमें एक मानदंड बनाना ही होगा। नियमों को इतना खुला होना ही चाहिए कि वह हर ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित कर सके। लेकिन उसे बहुत ज्यादा खुला या बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए।'

विभाग के मुताबिक मान्यताप्राप्त या सही निवेशकों को एक वर्ष में कितनी रकम के निवेश की इजाजत दी जानी चाहिए, यह इस पर निर्भर करेगा कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्ष में दो करोड़ रुपये का निवेश करते हैं, तो आपकी कुल संपत्ति उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। निवेशकों की कुल संपत्ति और निवेश की राशि में तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसे निवेशकों में ट्रस्ट, व्यक्ति या पारिवारिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। शर्तें पूरी करने वाले ऐसे निवेशकों को 25 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश पर भी एंजल टैक्स से छूट दी जाएगी। वर्तमान में स्टार्ट-अप कंपनियों को सालाना 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल टैक्स से छूट मिली हुई है।

वर्तमान में हर साल 300-400 स्टार्ट-अप कंपनियों में एंजल निवेश हो रहा है। एंजल निवेशकों द्वारा लगाई निवेश की रकम 15 लाख रुपये से चार करोड़ रुपये तक होती है। विभाग स्टार्ट-अप कंपनियों में कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआइएफ) को भी टैक्स बोझ से मुक्त रखने पर विचार कर रहा है।

चुनाव की अनिश्चितताओं से दबाव में रहेगी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त वर्ष 2018-19 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर में जो गिरावट आई थी, वह आगे भी जारी रह सकती है। चुनाव से संबंधित अनिश्चितताएं इसकी वजह होंगी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डीएंडबी) के ताजा आर्थिक अनुमान के मुताबिक खपत की कमजोर मांग और आम चुनाव से जुड़ी अनिश्चितताओं का असर भारत के औद्योगिक उत्पादन पर नजर आएगा। डीएंडबी ने आशंका जताई है कि मार्च, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 1-1.5 फीसद की गिरावट आ सकती है।

डीएंडबी इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा कि घरेलू मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के कारण बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की आर्थिक सुस्ती आगे भी जारी रह सकती है। महंगाई का कम रहना भी कमजोर मांग का एक संकेत है। फिलहाल चुनाव संबंधी अनिश्चितताओं का दबाव आर्थिक गतिविधियों पर दिख सकता है। अंतरराष्ट्रीय सुस्ती से निपटना देश के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए घरेलू मांग बढ़ाना और विमानन, बिजली और बैंकिंग व नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे रणनीतिक सेक्टरों के मुद्दों का निराकरण जरूरी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमत में यद्यपि बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन कुछ अन्य सेगमेंट में कीमत घटने से समग्र महंगाई कम रह सकती है। तेल की कीमत बढ़ने और अल नीनो की स्थिति मजबूत होने से जून और जुलाई में बारिश प्रभावित हो सकती है। इससे गैर प्रमुख सेगमेंट में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने खुदरा महंगाई दर 2.7-2.9 फीसद और थोक महंगाई 2.8-3 फीसद रहने का अनुमान है।

प्रदर्शन

शेयर बाजारों में इस साल अब तक छह कंपनियां लिस्ट हुईं, सिर्फ एमएसटीसी के शेयरों का प्रदर्शन अब तक अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है

इस साल लिस्टेड कंपनियों ने 21 फीसद तक दिया रिटर्न

5 कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से ऊपर कर रहे हैं कारोबार

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस साल बाजार में सूचीबद्ध हुई अधिकतर कंपनियां अपने इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही हैं। इन कंपनियों ने निवेशकों को 21 फीसद तक का रिटर्न दिया है। शेयर बाजारों में इस साल छह कंपनियां लिस्ट हुई हैं। इनमें से पांच कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सबसे अधिक रिटर्न रेल विकास निगम ने दिया है। यह 11 अप्रैल को लिस्ट हुआ था। कंपनी के शेयर एनएसई पर 21.31 फीसद चढ़ चुके हैं।

वायर्स और केबल्स निर्माता कंपनी पॉलीकैब इंडिया के शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले 19.94 फीसद मजबूत हो चुके हैं। यह 16 अप्रैल को लिस्ट हुआ था। चैलेट होटल्स में 14.64 फीसद और शेल्पमॉक डिजाइन एंड टेक लिमिटेड में 7.57 फीसद तेजी आई है। इन दोनों कंपनियों के शेयर इस साल फरवरी के शुरू में बाजार में लिस्ट हुए थे।

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के शेयर 15 अप्रैल को लिस्ट हुए थे। इसमें इश्यू प्राइस के मुकाबले 6.82 फीसद का उछाल आया है। एमएसटीसी इस साल लिस्ट होने वाली एकमात्र कंपनी है, जिसके शेयरों में गिरावट आई है। कंपनी 29 मार्च को लिस्ट हुई थी और तब से इसके शेयर 11.66 फीसद गिर चुके हैं। नियोजेन केमिकल्स का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर शुक्रवार को बंद हुआ है और इसके शेयर अभी बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी में इस साल अब तक 8.23 फीसद मजबूती आई है।

पहली तिमाही में 59,000 करोड़ का पीई निवेश : इस साल की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में देश में 845.1 करोड़ डॉलर (करीब 59,000 करोड़ रुपये) का प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेश हुआ। ये निवेश 182 सौदों के जरिये हुए। पिछले महीने प्राइवेट इक्विटी (पीई) कंपनियों ने 619.8 करोड़ डॉलर (करीब 43,300 करोड़ रुपये) का निवेश किया था। ग्रांट थॉर्न्टन के पीई डीलट्रैकर के मुताबिक मार्च में 69 सौदों के जरिये करीब 43,300 करोड़ रुपये का पीई निवेश हुआ। पिछले साल मार्च में करीब 9,650 करोड़ रुपये का पीई निवेश हुआ था। निवेश मूल्य के लिहाज से सर्वाधिक पीई निवेश ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन सेक्टर में हुआ, जबकि संख्या के लिहाज से निवेश के सर्वाधिक 118 सौदे स्टार्ट-अप और ई-कॉमर्स सेक्टर में हुए।

कमजोर विदेशी संकेतों के बाद भी सोना मजबूत

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश के कमजोर रुझानों के बावजूद स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 30 रुपये चढ़कर 33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी बढ़ाए जाने से चांदी भी 250 रुपये की मजबूती के साथ 38,700 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। सराफा कारोबारियों ने कहा कि विदेश के कमजोर रुझानों के बावजूद स्थानीय ज्वेलरों की ओर से खरीदारी बढ़ाए जाने के कारण सोने में मजबूती आई। न्यूयॉर्क में सोने में 1,283.50 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 15.05 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। शनिवार को सोना 50 रुपये प्रति 10 ग्राम कमजोर हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 30 रुपये चढ़कर 33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 32,830 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया।

मौसम विशेष

© Copyright Skymet Company 2019: All rights reserved.

दिल्ली सहित मैदानी भागों में मौसम काफी गर्म रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी व हल्की वर्षा संभव है। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी।

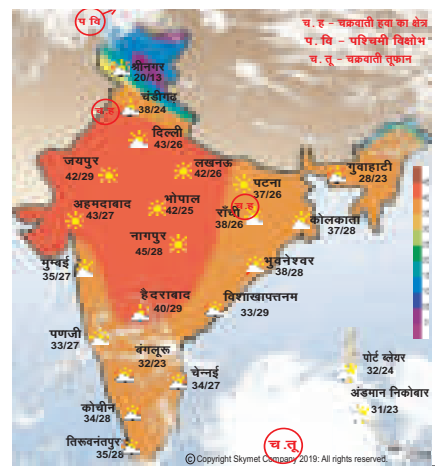

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/26/व	अहमदाबाद	40/20/व
कोलकाता	36/27/व	बड़ौदा	39/21/आंबा
चेन्नई	34/29/व	नागपुर	44/28/व
हैदराबाद	39/30/सा	इन्दौर	39/23/सा
बंगलूरू	31/22/सा	रांची	44/28/व
त्रिवेन्द्रम	34/28/आंबा	पटना	43/28/आंबा
गुवाहाटी	32/23/आंबा	जमशेदपुर	41/27/आंबा
गंगटोक	17/08/आंबा	पुणे	32/17/आंबा